न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

विविध राजस्व प्रकरण संख्या :– 30/2018

भूराराम पुत्र श्री कालूराम जाति नायक निवासी हांसलिया, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

1– ओमप्रकाश पुत्र कृष्णलाल जाति नायक निवासी चक 8 पीएसडी रावला मण्डी जिला श्रीगंगानगर।

2– प्रेमकुमार पुत्र कृष्णलाल जाति नायक निवासी चक 8 पीएसडी रावला मण्डी जिला श्रीगंगानगर।

3– सुमन पुत्री कृष्णलाल पत्नी चन्दूराम जाति नायक निवासी हरीपुरा तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

4– मीरादेवी पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा किजला हनुमानगढ।

5– लुणीदेवी पुत्री कालूराम पत्नी चुनाराम जाति नायक निवासी चक 6 जीबी 'ए' तहसील जैतसर जिला श्रीगंगानगर।

6– डूंगरराम पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी वार्ड नंबर 6, रावला तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

7– चुन्नाराम पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी वार्ड नंबर 6, रावला तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

8– सुखराम पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी वार्ड नंबर 6, रावला तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

9– सुल्तानराम पुत्र कालूराम जाति नायक निवासी हांसलिया तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

10– तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय चाण्डक एडवोकेट ––प्रार्थी
2. श्री अशोक चालिया एडवोकेट ––अप्रार्थीगण 1, 2, 4, 6, 7, 8,
3. श्री जगराज सिंह भारी एडवोकेट ––अप्रार्थी संख्या 5
4. श्री संदीप सैन एडवोकेट ––अप्रार्थी संख्या 9
5. राज पैरोकार ––अप्रार्थी सं. 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:06 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 27/10/2025

प्रार्थी भूराराम ने अप्रार्थीगण के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि :–

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

1– यह कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद–पत्र श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। जो जेरकार है। प्रार्थी को श्रीमान न्यायालय से पुरा–पुरा न्याय प्राप्त होने की आशा है। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र का भार संतुलन प्रथम द्रष्टवा प्रार्थी के पक्ष में है।

2– यह कि राजस्व तहसील पीलीबंगा के चक 8 एल.जी.डब्ल्यू श्बीश में प0नं0 23/284 में कि0नं0 2 ता 25 में 5.870 है0 मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि तथा चक 3 एल. के. एस. में प0नं0 23/283 के कि0नं0 24/1 व 25 में 0.455 है० कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी के पिता कालुराम पुत्र राजुराम व लुनीदेवी पुत्री कालुराम 1৷2 हिस्सा, चुन्नी पत्नी कालुराम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। अपने उक्त कथनों की पुष्टि में नकल जमाबन्दी चक 8 एल. जी. डब्ल्यु श्बीश सम्वत 2072–75 व चक 3 एल. के. एस. सम्वत 2071–74 हमरा इस प्रार्थना–पत्र के साथ पेश है।

3– यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या–2 में वर्णित रकबा कमश– चक 8 एल.जी.डब्ल्यु 'बी' 5.870 है0 व चक 3 एल. के. एस. में स्थित 0.455 है0 रकबा में प्रार्थी के पिता कालुराम पुत्र राजुराम का 1/4 हक व हिस्सा बरूवे रिकार्ड प्रमाणित है। उक्त रकबा कालुराम का स्वःअर्जित रकबा था।

4– यह कि कालुराम पुत्र राजुराम ने अपने उक्त 1/4 हक व हिस्सा की कृषि भूमि की बाबत एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनाक 8/12/1998 को अपने पांच पुत्रों के पक्ष में निष्पादित कर दी थी। यह रजिस्टर्ड वसीयत आज भी प्रभावी है। दस्तावेज रजिस्टर्ड वसीयतनामा की फोटो–प्रति संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

5– यह कि कालुराम पुत्र राजुराम का देहान्त दिंनाक 19.06.2001 को हो चुका है तथा चुन्नी पत्नी कालुराम का देहान्त भी दिनाक 07.11.2001 को हो चुका है। मृत्यु प्रमाणदृ पत्र की फोटोदृप्रतियां बतोर साक्ष्य प्रार्थना–पत्र के साथ पेश है।

6– यह कि मृतक कालुराम व चुन्नी के कुल आठ वारीस थे। जिसमें से एक पुत्री का देहान्त हो चुका है। जिनके वारीसों को प्रार्थना–पत्र में बतोर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 कायम किया हुआ है। मृतक कालुराम के वारीसान प्रमाण–पत्र संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

7– यह कि मृतक कालुराम के 1/4 हिस्सा में चक 8 एल.जी.डब्ल्यु 'बी' की 1.468 है0 व चक 3 एल.के.एस. की भूमि में से 0.113 है० भूमि बनती है। इस भूमि की बाबत कालुराम के केवल पाचों पुत्र ब०हि०ब० के हकदार थे। तहसील के कर्मचारीयों ने प्रार्थी एंव प्रार्थी के भाईयों को सुने बिना व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जो विरासतन नामान्तकरण के इन्द्राज किए है वह इन्द्राज सही तथ्यों के विपरित अंकित हुए है।

8– यह कि मृतक कालुराम पुत्र राजुराम के 1/4 हिस्सा में कुल 1.468 +0.113 है0 भूमि का नामान्तकरण मुताबिक वसीयत दिनाक 8.12.1998 के अनुसार प्रार्थी व प्रार्थी के चार भाई अप्रार्थी नं0 6 ता 9 के नाम बहि०ब० अंकन योग्य है।

9– यह कि मृतक चुन्नी पत्नी कालुराम के नाम से उक्त खाते में क्रमश चक 8 एल.जी. डब्ल्यु 'बी' में 2.935 है० व चक 3 एल.के.एस. में 0.228 है० भूमि का नामान्तकरण मृतक चुन्नीदेवी पत्नी कालुराम के आठो वारीसों में ब०हि०ब० दर्ज किया जावे।

10– यह कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व [illegible] अप्रार्थी नं0 6 ता 9 के नाम से 1.581 मुताबिक वसीयत + 1.976 [illegible] में से कुल 3.557 है० भूमि बहि०ब० राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के हकदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:06 IST
Reason: SelfAttested

11– यह कि इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के न[illegible] से 0.395 है0 भूमि बहि०ब० अंकन किए जाने योग्य होती है। तथा अप्रार्थी संख्या – 4 के नाम से 0.395 है0 भूमि एंव रोष अप्रार्थी संख्या 5 के नाम अंकन किए जाने योग्य है।

12– यह कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जिस प्रकार से समस्त वारीसान के नाम वादाधिन रकबा दर्ज है वह पूर्णतयः गल्त है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण की ईन्कारी से यह पूर्ण

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

आशंका है कि अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज चले आ रहे गल्त इन्द्राजों का अनुचित लाभ उठाने हेतु प्रयासरत होंगे। यदि अप्रार्थीगण अपने गल्त उद्देश्य में कामयाब हो गए तो प्रार्थी के हितों पर ना पुरा होने वाला नुकसान हो जावेगा जिसकी बाद में पूर्ति भी संभव नहीं है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जावे कि जब तक उक्त अनवान के वाद–पत्र का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक वादाधिन चक 8 एल. जी. डब्ल्यु श्बीश के खाता संख्या– 19/18 में स्थित 5.870 है0 एंव चक 3 एल. के. एस. के खाता संख्या 34/29 में स्थित 0.455 है0 कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाए रखें एंव किसी भी प्रकार से रहन, हस्तान्तरण न करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा सुनी गई जिस पर दिनांक 11.04.2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर एडी तलब किया गया व अप्रार्थी संख्या 5 ने जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि :–

1– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश होना मात्र स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थी को कामयाबी की कोई सम्भावना नही है।

2– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि चक 8 एलजीडब्ल्यू–बी के प.नं. 23/284 के किला नं. 2 ता 25 में 5.870 हैक. मय रास्ता खातेदारी तथा चक 3 एलकेएस के प.नं. 23/283 किला नं. 24/1, 25 में 0.455 हैक. खातेदारी कृषि भूमि वर्तमान में कालूराम पुत्र राजूराम, लुनी देवी पुत्री कालूराम व चुनी पत्नी कालूराम के नाम दर्ज रिकार्ड में से कालूराम के नाम दर्ज कृषि भूमि का विरास्तन नामान्तरण दर्ज हो चुका है। प्रार्थी द्वारा पुरानी जमाबंदी पेश कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज के है।

3– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि चक रू एलजीडब्ल्यू – बी की 5.870 हैक. व चक 3 एलकेएस की 0.455 हैक. भूमि में कालूराम का कोई हक हिस्सा मौका पर दर्ज रिकार्ड नही है। कालूराम के नाम प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज हो चुका है।

4– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में यह कथन कि कालूराम द्वारा एक रजि. वसीयत दिनांक 08.12.1998 को अपने पांचो पुत्रो के पक्ष में की गई स्वीकार है । मुताबिक वसीयत के मिन अप्रार्थी सं.5 के पक्ष में पिता कालूराम से जो विरास्तन हिस्सा प्राप्त हुआ है वह विरास्तन हिस्सा दोनो चको से कम किया जाकर मुताबिक वसीयत दावा स्वीकार किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी को कोई आपति व एतराज नही होगा।

5– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 स्वीकार है।

6– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 स्वीकार है।

7– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 में वर्णित [illegible] कालूराम के नाम 1/4 हिस्सा में चक 8 एलजीडब्ल्यू बी की 1.468 हैक. कृषि भूमि व चक 3 एलकेएस की भूमि में से 0.113 हैव कृषि भूमि बनती है स्वीकार है। मुताबिक वसीयत प्रार्थी व प्रार्थी के भाई अप्रार्थी सं... 6 ता 9 के नाम मुताबिक वसीयत नामान्तरण दर्ज किया जाता है तो मिन अप्रार्थी को कोई आपति व एतराज नही होगा।

8– यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 8 स्वीकार है। मुताबिक वसीयत प्रार्थी व आप्रार्थी सं. 6 ता के नाम ब. हि. ब. अकंन किया जाता है तो मिन अप्रार्थी को कोई आपति व एतराज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

9— यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 9 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि चुनी पत्नी कालूराम के नाम चक 8 एलजीडब्लयू—बी में 2.935 हैक. व चक 3 एलकेएस में कुल 0.228 हैक. भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज हो तो मिन अप्रार्थी को कोई आपति नही है।

10— यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 10 स्वीकार है। मुताबिक वसीयत प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 6 ता 9 के नाम नामान्तरण मुझ अप्रार्थी सं.5 का हिस्सा कम किया जाकर दर्ज किया जाता है तो मिन अप्रार्थी को कोई आपति नही है।

11— यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 11 स्वीकार है।

12— यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 12 अस्वीकार है। उक्त वर्णित कृषि भूमि बाबत पूर्व मे एक दावा श्रीमान न्यायालय के यहां अनवान लुनी देवी बनाम सुखराम के नाम से जैरकार रहा जो कि मुझ अप्रार्थी सं.5 द्वारा अपने पिता व माता चुनी देवी के नाम वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा का पेश किया गया था। जिसमें प्रार्थी द्वारा चाराजोही की गई। वरवरक्त दावा दायरी व निर्णय में प्रार्थी एवं प्रार्थी के चारो भाई उपस्थित रहे। मिन अप्रार्थी सं.5 के नाम पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि विरास्तन नामान्तरण होने की प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 6 ता 9 को पूर्ण जानकारी रही। मिन अप्रार्थी सं.5 का हिस्सा मुताबिक विरास्तन इन्तकाल दर्ज होने के पश्चात भी मुझ अप्रार्थी सं.5 द्वारा किसी प्रकार का रहन बैय व हस्तान्तरण नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा मात्र तथ्यो को रंगत देने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर मिन अप्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिज के है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण सख्या 2, 4, 6, 7, 8 ने जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया तथा अप्रार्थी सख्या 10 राज पैरोकार राज ने बेचानशुदा भूमि को छोड़ते हुए राज्यहित सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र निर्णित किए जाने का निवेदन किया।

आदेश

अधिवक्ता बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 08.12.1998 को कालूराम द्वारा अपने पांचो पुत्रों को बहिस्सा बराबर है जिसका विरास्तन इंतकाल दर्ज किया जा चुका है। उक्त इंतकाल की अपील और स्थगन आदेश प्रार्थी के पक्ष में है। हस्तगत प्रार्थना पत्र में दिनांक 11.04.2018 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी जिसके बाद लूणीदेवी द्वारा प्रश्नगत रकबा का बेचान किया गया है जबकि लूणीदेवी का अधिकार केवल चक 3 एलकेएस की भूमि में 11 बिस्वा तक बनता है, इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र में अस्थाई निषेधाज्ञा तादावा फैसला किए जाने का प्रार्थी अधिकारी है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए जिनमें आरआरटी 2010 पेज 221, आरआरटी [illegible] पेज 330 प्रस्तुत किये गये। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया [illegible] कि [illegible] 8 एलजीडब्ल्यू में लूणीदेवी का 1/8 हिस्सा बनता है। प्रश्नगत रकबा चक 8 [illegible] के बैयनामा के आधार पर क्रेता को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र में अपने हिस्से की भूमि का सिद्धभार अप्रार्थी संख्या 5 पर ही है। बहस पर भलीभाति मनन किया गया। पत्रावली व पेष प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया। यह न्यायालय स्थगनादेष जारी किए जाने पर इसलिए सहमत नहीं होता है क्योंकि राजस्थान काषतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 5 जो एक रिकॉर्डेड खातेदार है, वर्तमान में केवल अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से प्रार्थना पत्र में विरोध प्रकट किया गया है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 5 रिकॉर्डेड खातेदार है

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

इसलिए उसको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने के पांबद नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी सख्या 10 राज पैरोकार राज ने भी बेचानशुदा भूमि को छोड़ते हुए राज्यहित सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र निर्णित किए जाने का निवेदन किया है। अतः अप्रार्थी संख्या 5 की सीमा तक इस न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.04.2018 निरस्त किया जाता है तथा शेष प्रश्नगत भूमि के संबंध में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.04.2018 तादावा फैसला कन्फर्म की जाती है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेषा आज दिनांक 27/10/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:35:06 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पीलीबंगा